पत्र सं0–15/डी0एल0ए0, पटना (मार्ग दर्शन)–16/2014–.............1484............/रा0,

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

(भू–अर्जन निदेशालय)

अधिघोषणा

पटना, तारीख:.25-11-14

सं०...रा० चूँकि बिहार सरकार को यह प्रतीत होता है कि ग्राम–**सिकन्दरपुर**, थाना नं0–**17**, सर्वे थाना–**दानापुर**, परगना–**फुलवारी**, जिला–**पटना** में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् **विधायक निधि योजना के अन्तर्गत सड़क निर्माण के लिए** सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है। इसलिए इसके द्वारा अधिघोषित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त ग्राम–**सिकन्दरपुर**, थाना नं०–**17** के भीतर भूमि का एक टुकड़ा अपेक्षित है, जो मानक माप से कम–वेश **0.0505 एकड़** के बराबर होता है और जिसका **सर्वे खेसरा संख्या–321 अंश** भाग है और जिसकी चौहद्दी निम्न प्रकार है–

उत्तर : खेसरा सं0–319 एवं 320
पूरब : खेसरा सं0–330 अंश।
दक्षिण : खेसरा सं0–321 अंश।
पश्चिम : रास्ता।

भूमि या भूमि के किसी खास भाग के नीचे पड़ने वाली कोयला, लोहा पत्थर स्लेट या अन्य खनिजों की खानो की आवश्यकता नही है, किन्तु खानों और खनिजों के केवल वे भाग जिस कार्य के लिए भूमि अर्जित की जा रही है उसके निर्माण के लिए खोदना, हटाना या उपयोग में लाना आवश्यक हो, ले लिए जायेंगे। यह घोषणा अधिनियम 1,1894 की धारा 6 और अधिनियम 18,1885 की धारा 3 के खंड (1) यथा संशोधित अधिनियम की धारा 4 सन 1961 एवं 1984 के उपबंधों के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिनका इससे संबंध हो। भूमि का मानचित्र जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, पटना के कार्यालय में देखा जा सकेगा।

समाहर्त्ता, 18/11
पटना

बिहार राज्यपाल के आदेश से

21/11/14
सरकार के अवर सचिव

C:\Pinku\Khalko Jee\Adhighoshana, Sikandarpur.docx1

ज्ञाप सं0 – 16/डी0एल0ए0, पटना (मार्ग दर्शन)–16/2014–......1484....../रा0, दि0- 24-11-14

प्रतिलिपि 1. निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार, पटना को तीन प्रतियां सी0 डी0 के साथ दो दैनिक समाचार पत्रों, जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो, प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित संस्करण की प्रति जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, पटना को भेजने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि 2. प्रभारी उप समाहर्त्ता, जिला गजट, पटना को जिला गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित गजट की 5 प्रतियां जिला भू–अर्जन कार्यालय, पटना को भेजने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि 3. समाहर्त्ता/अपर समाहर्त्ता, जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि 4. आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि 5. आई0टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/11/14

(दीपलाल दीपक)
सरकार के अवर सचिव।